

4: विनियोग लेखे: लेखे पर टिप्पणियां

4.1 प्रस्तावना

वित्तीय मामलों में कार्य प्रणाली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर) 1978, सामान्य वित्तीय नियम-2005 से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अन्य स्थायी निर्देश इत्यादि सरकारी निधियों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तथा सरकारी खातों से किये गये व्यय हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। विनियोग लेखाओं की संवीक्षा के दौरान कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले पाये गये। इस अध्याय में इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ दी गई हैं।

4.2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन - सी.बी.डी.टी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) अनुबद्ध करता है कि विधि अनुसार किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई.) से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान सीएफआई पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि अनुसार किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में परिभाषित करता है।

राजस्व विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है, तथा इस गलत प्रक्रिया पर संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी के प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर सीएजी के प्रतिवेदन में भी निरंतर टिप्पणी की गई हैं, परंतु विभाग द्वारा कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले की जांच लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा की गई तथा समिति ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में पाया, कि विभाग के पास पिछली प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान न बना पाने का कोई वैध आधार नहीं था। विभाग ने स्वयं माना कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा पारित विनियोग कानून की सहायता लिए बिना एकत्रित अतिरिक्त कर एवं

अनुदान वापसियों पर 'ब्याज' के आहरण का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त, समिति ने विभाग को स्मरण करवाया था कि संविधान का अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि विधायिका द्वारा किए गए 'विनियोग' के अतिरिक्त सीएफआई से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालन रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में पी.ए.सी. ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया था कि मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप एक प्रक्रिया स्थापित करे ताकि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांगों में कर वापसियों पर ब्याज भुगतानों को दर्शा कर संसदीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके जैसा कि संविधान द्वारा विहित है।

पूर्व की भांति, वित्तीय वर्ष 2015-16 में भी बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹7,704 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना पिछले आठ वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹55,939 करोड़ का व्यय किया गया था जिसका विवरण नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1: करों की वापसी पर ब्याज पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2008-09	5,778
2009-10	6,876
2010-11	10,499
2011-12	6,486
2012-13	6,666
2013-14	6,598
2014-15	5,332
2015-16	7,704
कुल	55,939

मामला अक्टूबर 2015 में राजस्व विभाग को भेजा गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवम्बर 2015) में बताया कि वित्त मंत्री की स्वीकृति से, अटॉर्नी जनरल के वर्तमान अभ्यास को वैध बताई गई राय के आधार पर पीएसी की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थी। विभाग ने मार्च तथा अप्रैल 2016 में अपने उत्तर को दोहराया।

अपनी सिफारिशें करने के दौरान पीएसी द्वारा अपने 66वें एवं 96वें प्रतिवेदन में विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताये गये कारणों को पहले ही विचारार्थ लिया गया था।

4.3 प्रावधानों के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.3.1 वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा (एन.एस.)/सेवा के नए साधन (एन.आई.एस.) से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय लागू की जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी निकाय या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष- सहायता अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

वर्गीकृत सार/ई-लेखा डाटा सहित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पांच अनुदानों के पांच मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान के ₹ 11.32 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप एन.एस/एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसका विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ*	उ.पू*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 01- कृषि एवं सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग							
1.	3601.02.789.63.03.31 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.10	0.10 + 3.00 [#]	-	3.20	12.82	9.62
<p># मुख्य शीर्ष 2552 (एनईआर शीर्ष) के अंतर्गत प्राप्त अनुपूरक</p> <p>विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि कथित व्यय चालू योजनाओं हेतु राज्य सरकारों से संबंधित था तथा इसलिए वित्त मंत्रालय के का.जा. दिनांक 25 मई 2016 के पैरा 5(ii) के अनुसार एनएस/एनआईएस की सीमाओं को लागू नहीं करता था।</p> <p>विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। का.जा. का पैरा 5(ii) का नियम बताता है कि राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के अंतरणों को इन सीमाओं से छूट प्राप्त है क्योंकि योजना नई नहीं है। व्यय बजट (खण्ड-1) 2015-16 के भाग III के अनुसार परम्परागत कृषि विकास योजना एक नई योजना है। इसलिए कथित लेखाशीर्ष के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन करने के लिए संसद की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी।</p>							

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2015-16

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.20-संस्कृति मंत्रालय							
2.	2205.00.102.04.56.31 जलियांवालाबाग स्मारक का विकास	0.01	-	-	0.01	0.02	0.01
मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय को दर्ज किया जाना गलत वर्गीकरण के कारण था तथा ऐसा दोबारा होने से बचने के लिए भविष्य में उचित ध्यान रखा जाएगा।							
अनुदान सं.21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)							
3.	3054.02.800.02.00.31 सड़क निर्माण कार्य	26.10	-	-	26.10	26.30	0.20
अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) ने सूचित किया था कि संशोधित बड़ी हुई अनुरक्षण दरों के कारण परियोजना दत्तक द्वारा निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया था कि अनुदान के राजस्व वर्ग के अंतर्गत ₹90.61 करोड़ की कुल बचत थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के किसी भी संवर्धन को संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।							
अनुदान सं.48- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग							
4.	2210.06.107.03.03.31 राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, (उत्तर प्रदेश)	22.00	-	-	22.00	23.48	1.48
मामला अगस्त 2016 में विभाग को प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।							
अनुदान सं. 61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय							
5.	2220.01.105.01.01.31 फिल्म प्रभाग	0.03	-	-	0.03	0.04	0.01
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि कथित लेखा शीर्ष के अंतर्गत अधिक राशि दर्ज किया जाना गलत वर्गीकरण के कारण था। उन्होंने यह भी बताया (अक्टूबर 2016) कि चूक के सुधार के लिए प्रस्तावित एक जर्नल प्रविष्टि को सीजीए द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित शीर्ष के प्रावधान के संवर्धन हेतु संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित है। .							
कुल							11.32

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य.= कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.2 वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने अपने का.जा. दिनांक 12 फरवरी 2010 के द्वारा विनियोग की प्राथमिक ईकाई के स्तर पर पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2009-2010 से तत्काल प्रभाव से एक नया वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' खोला। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के का.जा. से आगे स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष '35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के

अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से प्रावधान का संवर्धन अनुदानों के लिए पूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दो अनुदानों के दो मामलों में कुल ₹10.15 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन बिना वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एन.एस/एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। तालिका 4.3 उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जहाँ संसद के अनुमोदन बिना संवर्धन किया गया था।

तालिका 4.3: वस्तु शीर्ष 'पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.व्य.*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.06-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय							
1.	2210.05.200.01.00.35 केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	4.00	0.20	3.00	7.20	8.35	1.15
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि यद्यपि अतिरिक्त बजट वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत सं.अ. स्तर पर प्रदान किया गया था फिर भी संसद की अनुपूरक स्वीकृति अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग (एसडीजी) के तृतीय बैच में प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उपरोक्त के अनुसार यह स्पष्ट है कि वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन संसद की पूर्वानुमति के बिना किया गया था। .							
अनुदान सं. 48- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग							
2.	2210.05.105.43.00.35 क्षेत्रीय औषधि विज्ञान संस्थान, इम्फाल	0.00	60.92	-	60.92	69.92	9.00
मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2016) कि क्षेत्रीय औषधि विज्ञान संस्थान, इम्फाल को भविष्य में ऐसे मामलों में अधिक सचेत रहने तथा यह सुनिश्चित करने कि अधिक व्यय के ऐसे मामले भविष्य में न हो, निर्देश दिया गया था।							
कुल							10.15

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी.2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य.= कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.3 वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2011 के अपने का.ज्ञा. के माध्यम से वेतनों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को विशेष रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' आरंभ किया। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के का.ज्ञा. द्वारा आगे स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन करने के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 हेतु युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 109 की जांच ने प्रकट किया कि ₹3.57 करोड़ की कुल निधियाँ वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एन.एस./एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। जैसा तालिका 4.4 में ब्यौरा दिया गया है

तालिका 4.4: वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
	(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.109- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय						
2204.00.104.11.01.36 भारतीय खेल प्राधिकरण-स्थापना एवं कार्यक्रम	206.00	-	-	206.00	209.57	3.57
मंत्रालय ने जब लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जुलाई 2016) को स्वीकार किया तब बताया कि वि.मं. ने संशोधित अनुमान के समय स्टाफ वेतन हेतु बजट सीमा को बढ़ा दिया था। इसलिए संसद संबंधित शीर्ष को निधियों के पुनर्विनियोजन हेतु टोकन अनुपूरक प्रदान किया गया था। परंतु वि.मं. ने 30 मार्च 2016 को पुनर्विनियोग के प्रावधान को अस्वीकार कर दिया।						

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.4 वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, पहले से संसद द्वारा दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय ने आगे 21 मई 2012 को माध्यम से स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत निधियों के संवर्धन (या तो निधियों के पुनर्विनियोग अथवा अतिरिक्तता के माध्यम से) हेतु सभी मामलों को बिना किसी छूट के अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग से संबंधित अनुदान सं.13 के वर्गीकृत सार सहित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा कुल ₹199.97 करोड़ की निधियाँ

व्यय की गई थीं। जिससे एन.एस./एन.आई.एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसका ब्यौरा तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.13-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग (डी.आई.पी.पी.)							
1.	2885.02.101.04.00.33 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना	0.01		-	0.01	0.41	0.40
2.	2885.02.101.05.00.33 उत्तर पूर्व हेतु व्यापक बीमा योजना	0.01	-	-	0.01	0.23	0.22
3.	2885.02.101.10.00.33 पूंजी निवेश सब्सिडी	0.01	-	-	0.01	199.36	199.35
	कुल						199.97

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि वित्त मंत्रालय के डी.ओ. पत्र सं. एफ. 2 (66)- बी(सीडीएन)/2001 दिनांक 12 जून 2001 के अनुसार संबंधित योजनाओं को एनईआर के एक मुश्त प्रावधान से निधियों के पुनर्विनियोग की शक्तियाँ मंत्रालय/विभागों के सचिव को प्रदान की गई है जो इन शक्तियों का उपयोग अपने वित्तीय सलाहकारों के सहयोग से कर सकेंगे। उसने आगे बताया (सितंबर 2016) कि डीडीजी 2015-16 ने स्पष्ट रूप से प्रावधान प्रदान किया था कि डीआईपीपी को एनई क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को योजना उत्तर-पूर्वी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (एनईआईआईपी) के अंतर्गत 'सब्सिडी' (विभिन्न प्रकार की) प्रदान करने हेतु ₹200 करोड़ का व्यय करना प्रत्याशित था। सब्सिडी के तीन सघटको हेतु टोकन प्रावधान ₹1 लाख प्राप्त किया था तथा लगभग ₹199.97 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान निष्क्रिय शीर्ष में प्राप्त किया था जिसे एनईआईआईपी सब्सिडियों के तीन सघटको के बीच बांटा जाना प्रत्याशित था। डीडीजी एनईआईआईपी सब्सिडी का ब्यौरा नहीं दर्शाती थी परंतु वह एन.ई. क्षेत्र के लाभ हेतु एक मुश्त प्रावधान रखने की बजटीय योजना का सारांश है। यह विभाग को औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, जो योजना के अंतर्गत दर्ज, सत्यापित तथा योग्य पाए गए दावों पर निर्भर है, के संवितरण हेतु नम्यता प्रदान करने हेतु एक लाभकारी बजटीय प्रक्रिया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने वर्ष 2015-16 के डीडीजी में कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा उपलब्ध कराया था। यद्यपि, योजना-वार विश्लेषण गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत गायब थी, जिसकी बजट विभाग ओएम सं. एफ.2 (66)-बी(सीडीएन)/2001 दिनांक 14 सितम्बर 2005 के अनुसार आवश्यकता थी। इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि योजना-वार ब्यौरा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए डीडीजी में विभाग द्वारा गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत दर्शायी जा रही थी, जो अब बंद की गई है। इस मामले को भी सीएजी के 2015 के प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2015 के 50 में बताया गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं।

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.5 वस्तु शीर्ष '53 मुख्य निर्माण कार्य' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.जा. के संदर्भ में स्पष्ट किया (दिनांक 21 मई 2012) कि वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एन.एस./एन.आई.एस. के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो अथवा मौजूदा निर्माण कार्यों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 83 कुल ₹116.48 करोड़ की निधियों का मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया जिससे नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। तालिका 4.6 ऐसे शीर्ष का ब्यौरा देती है जहाँ संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया था जिससे एन.एस/एन.आई.एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

तालिका 4.6: वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' के प्रावधान का संवर्धन

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
अनुदान सं. 83- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
5054.01.337.02.03.53 उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम "सड़क स्कंध/राज्य पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत निर्माण कार्य"	-	3590.00	-	3590.00	3706.48	116.48
<p>मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि मु.शी. 4552 के अंतर्गत ₹4000.00 करोड़ का प्रावधान था तथा ₹900 करोड़ को अनुदान हेतु तृतीय अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त करके जोड़ा गया था। इसलिए एनईआर के अंतर्गत कुल ₹4900 करोड़ था जिसके प्रति कुल व्यय ₹4845.87 करोड़ था।</p> <p>आगे सड़क स्कंध (बीआरडीबी) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरपीडी) के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण कार्य से एनईआर प्रावधान के अंतर्गत ₹90 करोड़ के अव्ययित शेष का उपयोग करने के लिए गैर-क्रियात्मक शेष '4552' आवंटनों को सचिव की स्वीकृति से ₹90 करोड़ का बीआरडीबी-एसएआरपीडी के सड़क स्कंध- एसएआरपीडी के अंतर्गत निर्माण कार्य को पुर्वनियोजन करके परिवर्तित किया गया था।</p> <p>मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मुख्य शीर्ष 4552 पर आधारित है जिसके अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दो योजनाएं अर्थात् बीआरडीबी तथा एसएआरपीडी थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मुख्य शीर्ष 53 मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत केवल बाद की योजना हेतु है। इसके अतिरिक्त ₹900 करोड़ हेतु तीसरी अनुपूरक अन्य योजना, सड़क स्कंध योजना एसएआरपीडी निर्माण कार्य के अंतर्गत ली गई थी जो केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित है।</p> <p>इसके अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 4552 के अंतर्गत सड़क स्कंध/बीआरडीबी के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में से वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' से एनईआर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' को निधियों के पुनर्विनियोजन के लिये संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।</p>						

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.4 पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों में राजस्व लेखे पर व्यय अन्य व्यय से भिन्न दर्शाया जायेगा। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धान्तों की अनुपालना की जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 2013-14 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 तथा वर्ष 2014-15 के प्रतिवेदन सं. 50 में राजस्व प्रकृति के व्यय के पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत वर्गीकरण के मामले इंगित किए गए थे। यद्यपि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत संसदीय प्राधिकरण प्राप्त करना जारी रखा जो अंतिम व्यय को दर्ज करने में गलत वर्गीकरण का कारण बना जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.4.1 पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 विनियोग की प्राथमिक इकाईयों का वर्गीकरण करता है। पूंजीगत परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करने एवं अन्य पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान प्राप्त करने के संदर्भ में 51 से 56 तथा 60 वस्तु शीर्ष को वर्ग छ: में समाहित किया गया है। जैसा अनुबंध 4.1 में दर्शाया गया है। ये वस्तु शीर्ष पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के होने चाहिए।

वर्ष 2015-16 हेतु वर्गीकृत/ई-लेखा डाटा सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में तीन मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित चार मामलों का पता चला जहाँ इन वस्तु शीर्षों का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग किया गया था जैसा तालिका 4.7 में दर्शाया गया है, यदि यह व्यय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के प्रति किया जाता, इसका परिणाम पूंजीगत व्यय को ₹28.23 करोड़ से कम बताये जाने में होता।

तालिका 4.7: पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	10.71	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।
2.		3401	51/52	11.26	
3.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	2202	53	2.99	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।
4.	66- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	2851	52	3.27	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।
योग				28.23	

व्यय आकड़े स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प/समेकित सार.

4.4.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 (डी.एफ.पी.आर.) का नियम 8, मोटे तौर पर वस्तु वर्ग 6 के अतिरिक्त किसी भी अन्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को राजस्व प्रकृति के व्यय के तौर पर वर्गीकृत करता है। तदनुसार, वस्तु वर्ग 6 के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को सामान्यतः पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2015-16 के वर्गीकृत सार सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से तीन मंत्रालयों/विभागों से संबंधित चार मामले प्रकाश में आए जहां राजस्व प्रकृति के वस्तु शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। यदि यह व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं अन्य पूंजीगत मदों पर नहीं किया गया होता तो इन गलत वर्गीकरणों का परिणाम संघ सरकार के राजस्व व्यय को ₹3.61 करोड़ से कम दर्शाए जाने में होता जैसा कि तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	89-पोत	5051	50	0.64	मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि आईटी व्यय हेतु आवश्यक प्रावधान वर्ष 2017-18 से राजस्व वर्ग के अंतर्गत रखे जाएंगे।
2.	परिवहन मंत्रालय	5052	50	0.35	
3.	97-पर्यटन मंत्रालय	5452	28	0.62	मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि 2016-17 में, वित्त मंत्रालयों के निर्देश पर इसने योजनागत एवं गैर-योजनागत के तर्कसंगत ढंग से पुनर्गठन के नए प्रतिमान के अंतर्गत राजस्व वर्ग के अंतर्गत उपरोक्त शीर्ष खोला है। भविष्य में इस प्रकार का व्यय राजस्व वर्ग के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
4.	103-लक्षद्वीप	4810	35	2.00	विभाग ने बताया (जून/अगस्त 2016) कि मामले को शोधक कार्रवाई हेतु मंत्रालय/कार्यालय सीजीए के साथ उठाया गया था। इस मद को वि.व. 2016-17 से मुख्य शीर्ष-2810 के अंतर्गत राजस्व वर्ग को पहले ही अंतरण कर दिया गया है।
कुल				3.61	

4.4.3 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 अनुबंधित करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों

के क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तथा संगठन के दिन-प्रति-दिन परिचालन हेतु स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किये गये सभी अन्य व्यय को भी, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2015-16 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखाओं के साथ ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित 13 मामलों में राजस्व प्रकृति का व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जिसका परिणाम राजस्व व्यय के ₹1607.40 करोड़ कम बताए जाने में हुआ जैसा कि तालिका 4.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.9: अनुदान के विभिन्न खण्डों में गलत वर्गीकरण

क्र.स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	15-दूरसंचार विभाग	319.99	विभाग ने एएफएनईटी (वायु सेना नेटवर्क) हेतु बैंडविथ किराया भारत संचार निगम लिमि. (बीएसएनएल) प्रभारों के रूप में ₹319.99 करोड़ की राशि अदा की जिसे पूंजीगत लेखा शीर्ष 5275.00.800.03.00.60 तथा 4552.00.203.01.00.60 के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60- अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलती से दर्ज किया गया था। बैंडविथ किराया प्रभारों के कारण व्यय को राजस्व प्रवृत्ति का होने से अनुदान के राजस्व वर्ग में वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।
2.	21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1600.25	मंत्रालय ने राजमार्गों, सुरक्षा प्रदान करने तथा विमान उत्पादन प्रभारों से अलग सड़क के अनुरक्षण पर ₹1600.25 करोड़ का व्यय किया तथा इसे वस्तु शीर्ष 5054.02.337.03.00.53-'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत वर्ग में दर्ज किया। व्यय राजस्व प्रकृति के होने के कारण अनुदान के राजस्व विभाग के अंतर्गत उचित वस्तु शीर्ष में वर्गीकृत होना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि इस शीर्ष के अंतर्गत कई वर्षों से बुकिंग की जा रही थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि मौजूद प्रावधान में मुख्य शीर्ष - 5054 के बदले में 3054 में प्रकरण को आरडीआर की पुस्तिका (राजस्व ऋण एवं प्रेषण) में शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है।

क्र.स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
3.	93-अंतरिक्ष विभाग	0.11	ऊपरी लाईन के स्थान परिवर्तन हेतु बेंगलोर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (बीईएसकॉम) को भुगतान के प्रति ₹11.19 लाख के व्यय को इसरो उपग्रह (आईएसएसी) केन्द्र द्वारा पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत प्रकार से दर्ज किया गया था जबकि विद्युत व्यय को सही प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)
4.		0.76	इसरो के विभिन्न कार्यों हेतु टेलीमेटरी ट्रेकिंग एवं कमांड (टीटीसी) नेटवर्क स्टेशन सहायता के प्रति ₹76.04 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी परियोजना द्वारा गलत प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जबकि डीओएस द्वारा उपभोग की गई इन ट्रेकिंग सेवाओं को राजस्व वर्ग के अंतर्गत '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत सही प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए था।	
5.		0.20	कैपेसिटरो हेतु तकनीकी सेवा प्रभारों के प्रति ₹20.38 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी-परियोजना द्वारा गलत प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसे राजस्व वर्ग के अंतर्गत '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	
6.		1.54	तरल नाइट्रोजन के प्रापण के प्रति ₹1.54 करोड़ के व्यय को पीएओ आईएसएसी-परियोजना द्वारा गलत प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया था जिसे सही प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	

क्र.स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
7.		0.33	डेस्कटॉप कम्प्यूटर तथा बैटरी के प्रापण के प्रति ₹32.63 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी- केन्द्र द्वारा गलत प्रकार से 'पूँजीगत वर्ग' के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही प्रकार से राजस्व वर्ग में विस्तृत शीर्ष-99 के अंतर्गत '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	
8.		1.45	एक्साईड बैटरी बैंक, कनेक्टर, इलैक्ट्रोलाईट, माईल्ड स्टील स्टैंड एवं स्टैंड इन्सुलैक्टर, थर्मामीटर, आदि के प्रापण के प्रति ₹1.45 करोड़ के व्यय जिसे राजस्व वर्ग में वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था, जिसे पूँजीगत वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 52-मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
राजस्व व्यय को ₹1924.63 करोड़ तक कम बताया गया।				
राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	93-अंतरिक्ष विभाग	306.31	व्यय को गलत प्रकार से राजस्व व्यय के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही प्रकार से पूँजीगत वर्ग के अंतर्गत '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि वह उपग्रह तथा लांच वाहन मिशन के मिशन/अंतरिक्ष उपभोज्य थे तथा उनका जीवन एक वर्ष से अधिक है।	
2.		7.10	इन व्यय को गलत प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही प्रकार से पूँजीगत वर्ग के अंतर्गत '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि वह उपग्रह तथा लांच वाहन मिशन के मिशन/अंतरिक्ष उपभोज्य थे तथा उनका जीवन एक वर्ष से अधिक है।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)

क्र.स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
3.		3.13	जीएसएटी-15 एवं जीएसएटी-16 लांच अभियान के दौरान मैसर्स एरियन स्पेस, फ्रांस द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त सेवाओं के प्रति ₹3.13 करोड़ के व्यय को गलत प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे वर्तमान आदेश के अंतर्गत सही प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	
4.		0.52	स्थिर यादृच्छिक अभिगम स्मृति (एसआरएम) (जिसका उपयोग उपग्रह में किया जाएगा) के प्रापण के प्रति व्यय की गई ₹51.83 लाख की राशि को पीएओ आईएसएसी केन्द्र द्वारा गलत प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	
5.		0.17	आरएफ डायोड्स एक्स रे डिटेक्टर्स के प्रापण के प्रति ₹16.74 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी-केन्द्र द्वारा गलत प्रकार से राजस्व वर्ग में वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत '52- मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत सही प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए था।	
राजस्व व्यय को ₹317.23 करोड़ तक अधिक बताया गया				
समग्र प्रभाव: ₹1607.40 करोड़ तक राजस्व व्यय का कम बताना।				

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूंजीगत व्यय के ₹1928.24 करोड़ द्वारा अधिकथन एवं पूंजीगत व्यय के ₹345.46 करोड़ से न्यूनोक्ति में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹1582.78 करोड़ से पूंजीगत व्यय के अधिकथन में हुआ। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹1582.78 करोड़ के बराबर राशि के राजस्व घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

4.5 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

4.5.1 भारतीय लोक लेखे के स्थान पर भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) एवं (2) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे गये सभी ऋण, अन्य ऋण अथवा अर्थोपाय अग्रिम तथा उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे 'भारत की समेकित निधि' कहा जाएगा। उस सरकार की सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त जो कि समेकित निधि से संबंधित हैं, कुछ अन्य लेन-देन सरकारी लेखाओं में प्रविष्ट किए जाते हैं जिनके संबंध में सरकार बैंकर के रूप में अधिक अथवा अंतरणकर्ता के रूप में कार्य करती है। अतः प्राप्त किए गए सार्वजनिक धन को लोक लेखे में रखा जाता है, तथा संबंधित संवितरण भी वहीं से किए जाते हैं।

(क) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2015-16 से संबंधित अनुदान सं.11 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु सी.एफ.आई से पूंजीगत लेखा शीर्ष 4803.00.800.01.00.54 में ₹1099.84 करोड़ का व्यय किया था तथा उस व्यय को कोल इंडिया लिमि. (सीआईएल) से ₹1100 करोड़ की प्राप्तियों के साथ निवल किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्रों को सी.आई.एल. द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति अधिग्रहित किया गया था, इस लेन-देन को सीएफआई के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

महालेखा नियंत्रक ने अगस्त 2013 के अपने सुझाव की निरंतरता में (जून 2016) अपने विचारों को दोहराया कि उन सरकारी निकायों जो वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं, से ऐसे निकायों हेतु अधिग्रहित भूमि की क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु पेशगी में प्राप्त निधियों को मुख्य शीर्ष '8443-सिवल जमा' के अंतर्गत लघु शीर्ष '117-सार्वजनिक निकायों अथवा निजी विशेष हेतु किए कार्य का जमा' को क्रेडिट किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, अधिग्रहित भूमि हेतु क्षतिपूर्ति से संबंधित सभी भुगतानों को इस लेखा शीर्ष को डेबिट भी किया जाना है।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि पीएसयू की ओर से भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्राप्ति/भुगतानों के अंतर्गत एक नया शीर्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 से लोक लेखे में खोला गया है।

(ख) वर्ष 2015-16 हेतु विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 77 से संबंधित सार की तुलना में विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि भारत की समेकित निधि से पूंजीगत शीर्ष 4801.02.190.02.02.54 में कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु ₹76.83 करोड़ का व्यय किया गया और इस व्यय को एनटीपीसी से ₹76.83 करोड़ की प्राप्तियों के साथ निवल किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्र एन.टी.पी.सी. द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति अधिग्रहीत किए गए थे, लेन-देन भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि सीजीए कार्यालय ने जून 2016 में स्पष्ट किया कि एक पीएसयू द्वारा उनके लिए सरकारी विभाग द्वारा किए गए कार्य की एवज में जमा राशि के लेन-देन को, भारत की समेकित निधि के अंतर्गत लेखाबद्ध करना मुख्यतः गलत है और मुख्य शीर्ष 8443 - सिविल जमा को क्रेडिट किया जाना था। मंत्रालय ने आगे बताया कि उपरोक्त लेखांकन की प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष से प्रचालित किया जाए।

दोनों मामले नि.म.ले.प. के 2015 के प्रतिवेदन सं.1 एवं प्रतिवेदन सं. 50 में भी उठाये गये थे।

4.5.2 वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना

वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2011 से एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के नीचे वस्तु श्रेणी-4 के अंतर्गत वस्तु शीर्षों की सूची में प्रस्तुत किया।

वर्ष 2015-16 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा द्वारा ज्ञात हुआ कि इस वस्तु शीर्ष को निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित नहीं किया गया था, जिसका विवरण तालिका 4.10 में दिया गया है:

तालिका 4.10: वस्तु शीर्ष 'सहायता-अनुदान-वेतन' का परिचालन न होना

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग का उत्तर
1.	16-इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	<p>जांच ने प्रकट किया कि वस्तु शीर्ष 36-सहायता अनुदान-वेतन आईटी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) के संबंध में प्रचलित नहीं था। आईटीआरए की संस्थापना हेतु डाईट वाई की स्वीकृति दिनांक 4 नवम्बर 2010 हेतु आईटीआरए को निधियों के चरण वार निर्गम का प्रावधान करती है, जिसने अपेक्षा की कि वेतन सहित सभी परियोजना सघंटको को प्रत्येक निर्गम में शामिल किया जाए। डिजिटल भारत कार्यक्रम, (2852.07.202.85.04.31) के अंतर्गत ₹26 करोड़ की राशि वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत बजट प्रावधान के रूप में आबंटित की गई थी। प्राप्त अनुदान में से, आईटीआरए ने वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन शीर्ष के अंतर्गत ₹1.30 करोड़ का व्यय किया था। जिसे 36-सहायता अनुदान वेतन के रूप में अलग से वर्गीकृत और बजट में शामिल किया जाना चाहिए था।</p> <p>विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि आईटीआरए की स्थापना ₹148.83 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ की गई थी। जब परियोजना को स्वीकृत तथा कार्यान्वित किया गया था उस समय सहायता अनुदान का कोई विभाजन नहीं था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटीआरए की संस्थापना हेतु आईटीआरए को निधियों के चरणवार निर्गम का प्रावधान करती है जिसने अपेक्षा की कि वेतन सहित सभी परियोजना सघंटको को प्रत्येक निर्गम में शामिल किया गया था। तथा इसे '36- सहायता अनुदान वेतन' के रूप में वर्गीकृत और बजट में शामिल किया जाना चाहिए था।</p>
2.	77-विद्युत मंत्रालय	<p>मंत्रालय ने गोवा तथा यू.टी. एक अनुदानग्राही निकाय के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जे.ई.आर.सी.) को ₹5.70 करोड़ का अनुदान जारी किया जिसमें से उन्होंने वेतन पर व्यय को पूरा करने के लिए ₹1.15 करोड़ का उपयोग किया। तथापि, कुल ₹5.70 करोड़ की जारी राशि वस्तु शीर्ष 2801.80.800.23.00.31 'सहायता अनुदान सामान्य' के अन्तर्गत बुक की गई जबकि वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता-वेतन' के अन्तर्गत वेतन घटक पर ₹1.15 करोड़ का व्यय वर्गीकृत किया जाना चाहिये था।</p> <p>मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से गोवा एवं यूटी हेतु जे.ई.आर.सी. के गैर-योजना व्यय को पूरा करने के लिए आबंटन सामान्य अनुदान तथा वेतन अनुदान हेतु अलग वस्तु शीर्ष में किया गया है।</p>
3.	95-वस्त्र मंत्रालय	<p>मंत्रालय ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली को उसके रायबरेली केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु ₹1.00 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता वेतन' के अन्तर्गत सही प्रकार व्यय वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2852.08.202.61.00.31-'अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत लेखे में उसे बुक किया गया था।</p> <p>मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निधि केवल सामान्य शीर्ष में उपलब्ध थी तथापि निधि एनआईएफटी को संस्वीकृत की गई थी।</p> <p>मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' 01 अप्रैल 2011 से खोला गया था इसलिए मंत्रालय को अनुपूरक प्रावधान वेतन अनुदान शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त करना चाहिए।</p>

4.5.3 अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों का निर्धारण करता है। वस्तु शीर्षों की सूची तथा इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले व्यय के विवरण **अनुबंध-4.1** में दिए गए हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 13 अनुदानों/विनियोगों के 35 मामलों में कुल ₹387.32 करोड़ की निधियों के विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात् वस्तु शीर्षों के मध्य गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिनका विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: अनुदान के उसी प्रभाग में वस्तु शीर्षों के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	8-उर्वरक विभाग	2.69	2852/50	₹0.73 करोड़ का व्यय एमएफएमएस अनुप्रयोग आदि की लेखापरीक्षा करने हेतु गतिशील उर्वरक प्रबंधन तंत्र (एमएफएमएस) परियोजना के लिए परामर्शी सेवा प्रभागों के भुगतान पर किया गया था तथा ₹1.96 करोड़ का कम्प्यूटर, इसके उपसाधनों, उपभोज्यों के प्रापण तथा उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के अनुरक्षण आदि पर व्यय किया गया था। तथापि, ₹2.69 करोड़ का कुल व्यय वस्तु शीर्ष '50 - अन्य प्रभाग' के अंतर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था। डीएफपीआर के अनुसार आउटसोर्स कार्मिक, सलाहकारों की नियुक्ति के भुगतानों पर व्यय का सही वर्गीकरण '28-व्यवसायिक सेवाएं' तथा कम्प्यूटर पर व्यय को '13-कार्यालय व्यय' करना चाहिए था।
<p>मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, के निर्देशों के अनुसार योजनागत तथा गैर-योजनागत योजनाओं को पुनर्गठित किया जाना था तथा 2016-17 हेतु डीडीजी को इनको मिलाने के पश्चात तैयार किया जाना चाहिए था। उर्वरक विभाग (सचिवालय) हेतु कम्प्यूटरों एवं इसके उपसाधनों, उपभोज्यों के प्रापण को शीर्ष 3451.00.090.33.99.13 "कार्यालय व्यय" के अंतर्गत दर्ज किया जाना है तथा एफएमएस/एमएफएमएस हेतु कम्प्यूटर एवं इसके उप-साधनों के प्रापण को शीर्ष 3451.00.090.33.99.50 'अन्य प्रभाग' के अंतर्गत दर्ज किया जाना है। वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2016-17 के एफ.एम.एस. एवं एम.एफ.एम.एस. के व्यवसायिक प्रभागों को शीर्ष 3451.00.090.33.01.28 के अंतर्गत दर्ज किया जाना है।</p>				
2.	15-दूरसंचार विभाग	0.07	3275/51, 52	विभाग ने ₹0.07 करोड़ का व्यय किया तथा इसे गलत प्रकार से राजस्व वर्ग मुख्य शीर्ष-3275 में वस्तु शीर्ष 51-मोटर वाहन तथा 52-मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत दर्ज किया था।
<p>विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि जीएफआर 2005 का नियम 79 अनुबंध करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत एवं रखरखाव पर प्रभागों तथा कार्य व्यय, जो परिसम्पत्तियों को चालू स्थिति में बनाए रखने हेतु अपेक्षित है, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इसलिए बुकिंग सही प्रकार से की गई थी।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूंजीगत परिसम्पत्तियों तथा पूंजीगत व्यय हेतु वस्तु श्रेणी-6 से संबंधित वस्तु शीर्ष '51-मोटर वाहन' तथा '52-मशीनरी एवं उपकरण' का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।</p>				
3.	17-उपभोक्ता मामले विभाग	4.95	3475/52	विभाग ने मशीनरी एवं उपकरणों की केन्द्रीकृत खरीद तथा उनकी सीधे राज्यों/यूटी को आपूर्ति की और कुल ₹4.95 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '35 जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के बजाए वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत प्रकार से दर्ज किया।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
<p>विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि 2007-08 से पूर्व राज्यों/यूटी की भार एवं माप अवसरचना हेतु निधियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी किया गया था परंतु बाद में केन्द्रीयकृत खरीद करने के पश्चात राज्यों/यूटी को मशीनरी एवं उपकरण की आपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त करने हेतु इस विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार (नवम्बर 2011) कर दिया था तथा कथित व्यय को राजस्व लेखाओं के अंतर्गत दर्ज करने का निर्देश दिया था।</p> <p>विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा चिंताओं का निपटान नहीं करता है। विभाग को प्रावधान प्राप्त करना तथा राजस्व लेखा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करना चाहिए था।</p>				
4.	21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	285.96	5054/53	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा श्रेणी 'क' भण्डार/उपकरण पर किए गए ₹285.96 करोड़ के व्यय को मशीनरी एवं उपकरण से संबंधित वस्तु शीर्ष-52 के अंतर्गत दर्ज करने के स्थान पर गलत प्रकार से वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
<p>मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2016) कि वस्तु शीर्ष- 53 को उपकरण की अधिप्राप्ति के प्रति व्यय को दर्ज करने के लिये वस्तु शीर्ष- 52 के रूप में वित्त वर्ष 2017-18 से सही कर लिया जायेगा।</p>				
5.	21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	7.99	3053/31	सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान में तैनात मंत्रालय के अधिकारियों को "भूटान क्षतिपूर्ति भत्ता" के रूप में ₹7.99 करोड़ की राशि अदा की थी। इसे वेतनों से संबंधित वस्तु शीर्ष 01 के अंतर्गत दर्ज करने की बजाए इसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
<p>मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2016) कि यह निधि भूटान प्रतिपूर्ति भत्ते से संबंधित है। बीआरओ ने सूचित किया कि वित्त वर्ष 2017-18 से मुख्य शीर्ष- 2052 के अंतर्गत बजट प्रावधान हेतु एक प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा</p>				
6.	34-आर्थिक कार्य विभाग	7.75	3475/50	भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर किए गए व्ययों को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को किए गए ₹7.75 करोड़ के भुगतानों को वस्तु शीर्ष 50- अन्य प्रभार के अंतर्गत दर्ज किया गया था। व्यय को वस्तु शीर्ष 20-अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
<p>आर्थिक कार्य विभाग, आईईएस प्रभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि आईईएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्ययों हेतु वस्तु शीर्ष को वित्तीय वर्ष 2016-17 से "20-अन्य प्रशासनिक व्यय" में परिवर्तित कर दिया गया है।</p>				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
7.	66 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	1.25	2851/32	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना पर किए गए ₹1.25 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष 32- अंशदान के अंतर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था। उपरोक्त योजना के अंतर्गत किया गया व्यय सामान्य/विशिष्ट उद्देश्य हेतु संगठनों, पंजीकृत समितियों आदि को अनुदानों के रूप में था जिसे "32-अंशदान" के बजाए सही प्रकार से वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि वह वर्ष 2017-18 से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत व्यय को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज करने में समर्थ होगा।				
8.	70- प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय	0.65	2061/50	मंत्रालय ने 'भारतीय विकास प्रतिष्ठान-प्रवासी भारतीय', एक स्वायत्त निकाय, को सहायता अनुदान का संवितरण करने हेतु ₹0.85 करोड़ का प्रावधान प्राप्त किया तथा ₹0.65 करोड़ के व्यय को सहायता अनुदान हेतु वस्तु शीर्ष के स्थान पर गलत प्रकार से लेखा शीर्ष '50- अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया।
उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016).				
9.	77- विद्युत मंत्रालय	6.00	2801/31	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) को शिवपुरी, मध्य प्रदेश में एनपीटीआई के अंतर्गत एक नए विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु जारी ₹6.00 करोड़ की सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत व्यय को सही प्रकार से वर्गीकृत करने के स्थान पर वस्तु शीर्ष 2801.80.003.02.00.31 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था।
मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि अभ्युक्ति को वित्तीय वर्ष 2017-18 से अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।				
10.	82- उप राष्ट्रपति सचिवालय	0.33	2012/13	वीवीआईपी के मनोरंजन पर किए गए ₹0.33 करोड़ के व्यय की डीएफपीआर के अनुसार उपयुक्त वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के स्थान पर गलत प्रकार से लेखा शीर्ष 2012.02.090.01.00.13- कार्यालय व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय सचिवालय ने बताया (अगस्त 2016) कि वस्तु शीर्ष-20 परिचालन हेतु एक टिप्पण वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया था।				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
11.	83- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	28.24	3055/20	प्रचार उपार्यों तथा सर्तकता अभियानों जिसमें साथ-साथ डीएवीपी आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेशो का मुद्रण, प्रचार सामग्री की आपूर्ति, प्रचार अभियान तथा दूरदर्शन/प्रसारण शामिल है, के कारण किए गए ₹28.24 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '26- विज्ञापन एवं प्रसारण' के अतंगत वर्गीकृत करने के बजाए वस्तु शीर्ष '20 अन्य प्रशासनिक व्यय' के अतंगत दर्ज किया किया गया था।
मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि गलत वर्गीकरण का सुधार कर लिया गया है तथा प्रचार सामग्री के मुद्रण, प्रदर्शनी, मेलों आदि पर व्यय को दर्ज करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से नया शीर्ष 3055.00.004.20.02.26 खोला गया है।				
12.	93-अंतरिक्ष विभाग	4.66	5402/60	₹4.66 करोड़ की लागत पर प्रापण की गई पूंजीगत मद (लार्ज एरिया स्वेप्ट चार्ज डिवाइस (एससीडी) एक्स रे डिटेक्टर्स) को वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के बजाए वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत प्रभार' के अतंगत दर्ज गलत रूप से दर्ज किया गया था।
13.		0.49	5402/53	आंतरिक प्रकार के ट्रासफार्मरो के प्रापण के प्रति ₹49 लाख की राशि अदा की गई थी और वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के बजाए वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अतंगत दर्ज किया गया था।
14.		0.27	5402/52	समेकित सर्किट/इलेक्ट्रानिक सघंटको (अंतरिक्ष अपभोज्य) के प्रापण के प्रति ₹27 लाख की राशि अदा की गई थी और वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत प्रभार' के बजाए वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अतंगत दर्ज किया गया था।
15.		0.51	3402/50	पुस्तिकाओं के मुद्रण तथा आपूर्ति करने के प्रति ₹51 लाख का व्यय किया गया था और '16 प्रकाशन' के अतंगत दर्ज किये जाने के बजाए 50-अन्य प्रभार के अतंगत दर्ज किया गया था।
16.		0.45	3402/50	₹45.47 लाख की राशि के विज्ञापन प्रभार वस्तु शीर्ष '26- विज्ञापन एवं प्रचार' के बदले '50-अन्य प्रभार' के अतंगत दर्ज किये गये थे।
17.		0.57	3402/50	पीएओ, इसरो मुख्यालय द्वारा अंतरिक्ष अध्ययन कार्यक्रम-2015 के शिक्षा शुल्क के प्रति अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय को ₹56.63 लाख की राशि जारी की गई थी जिसे '20 अन्य प्रशासनिक व्यय' के अतंगत दर्ज किया जाना था परंतु इसे '50-अन्य प्रभारों के अतंगत दर्ज किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
18.	93-अंतरीक्ष विभाग	0.43	3402/50	पीएओ, इसरो मुख्यालय द्वारा बीएसएनएल से संविदानिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु बीएसएनएल को अदा की गई ₹43.38 लाख की राशि को वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदानिक सेवाएं' के बजाए '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
19.		0.68	3402/50	स्वायत्त निकाय पीआरएल, अहमदाबाद को ग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम (प्लेनेक्स) के अंतर्गत जारी ₹45.68 लाख की सहायता अनुदान जिसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था। परंतु उसे वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त ई.ओ.ए.एम. के अंतर्गत एन.ई.एस.ए.सी. को जारी किए गए ₹22 लाख को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' में दर्ज करने के बजाए वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' दर्ज किया गया था।
20.		3.15	3402/50	स्वायत्त निकाय पीआरएल अहमदाबाद को इसरो बायोस्फेयर कार्यक्रम (आईजीबीपी) के अंतर्गत जारी ₹3.15 करोड़ की सीमा तक की सहायता अनुदान, जिसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था, को वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
21.		1.42	3402/30	पीएओ, इसरो मुख्यालय ने केन्द्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (एनएएल) को अर्धवार्षिक किश्त के रूप में ₹1.42 करोड़ की राशि जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के बजाए वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
22.		6.78	3402/50	पीएओ, इसरो मुख्यालय ने वायुमण्डलीय विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत ₹6.63 करोड़ की राशि राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) को जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के बजाए वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, अर्द्ध-चालक प्रयोगशाला (एससीएल), चण्डीगढ़ को अंशांकन-सत्यापन (सीएएल-वीएएल) के लिए जीपीएस रेडियोसोन्डस के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु ₹0.15 करोड़ की राशि भी जारी की गई थी जिसे वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के बजाए वस्तु शीर्ष '50 - अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
23.	93-अंतरिक्ष विभाग	8.35	3402/50	आईएसएसी (पी) ने मार्स ऑरबिटर मिशन (एमओएम) की ट्रेकिंग, नेवीगेशन तथा दूरसंचार सहायता सेवाओं के प्रति नासा, यूएसए को ₹8.35 करोड़ की राशि अदा की जिसे वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
24.		3.78	3402/30	आईएसएसी (सी) ने रेप्रोग्राफिक सहायकों एवं रेप्रोग्राफिक पर्यवेक्षकों तथा श्रमशक्ति प्रभारों के भुगतान पर ₹3.78 करोड़ का व्यय किया जिसे वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के स्थान पर '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
25.		1.18	3402/21	आईएसएसी (सी) ने रेप्रोग्राफिक सहायको, रेप्रोग्राफिक पर्यवेक्षकों, डाटा इंटर्री/प्रशासनिक सेवाओं तथा श्रमशक्ति प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹1.18 करोड़ का व्यय किया जिसे वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के बजाए '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
26.		1.37	3402/21	आईएसएसी (सी) ने कुर्सियों, टी.वी. डेस्कटॉप, पीसी, लैपटाप/नोटबुक, इरेजेबल प्रोगामेबल रीड ओनली मेमोरी (ईपीआरओएम) आदि के प्रापण के प्रति ₹1.37 करोड़ का व्यय किया जिसे वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय के बदले वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
27.		0.33	3402/20	₹32.86 लाख का व्यय आईएसएसी अतिथिगृह का अनुरक्षण/ रखरखाव करने (श्रमशक्ति संविदा) के प्रति किया गया था जिसे गलती से वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के बजाए वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
28.		0.10	3402/50	₹10.19 लाख का व्यय आईएसएसी अतिथिगृह का अनुरक्षण/ रखरखाव करने (श्रमशक्ति) के प्रति किया गया था जिसे गलती से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किए जाने के बजाए वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था।
29.		0.48	3402/30	₹48.43 लाख का व्यय आईएसएसी में कैन्टीन के अनुरक्षण (श्रमशक्ति) के प्रति किया गया था जिसे वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किए जाने के बजाए वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
30.		0.30	3402/21	₹30.21 लाख का भुगतान चैम्बर एवं शेकर्स के प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रति किया गया था तथा गलत रूप से वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्री के अंतर्गत दर्ज करने के बजाए वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
31.		0.13	3402/50	₹13.19 लाख का व्यय आईएसएसी अतिथि गृह तथा अन्य स्थानों पर सुरक्षा सेवाओं के प्रति किया गया था तथा गलत रूप से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किए जाने के बजाए वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
32.		0.36	3402/30	कनैक्टरों के प्रापण के ₹36.12 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी परियोजना द्वारा गलत प्रकार से वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही प्रकार से वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रिया' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
अंतरिक्ष विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था। (अक्टूबर 2016)				
33.	94-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	0.01	3454/52	₹1.14 लाख का व्यय कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रापण पर किया गया था तथा इसे गलत प्रकार से वस्तु शीर्ष '52- मशीनरी एवं उपकरण', जो श्रेणी-VI के अंतर्गत आता है जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के लिए है, के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को, राजस्व प्रवृत्ति का होने से, राजस्व वर्ग में उपयुक्त वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (सितंबर 2016) किया तथा बताया कि व्यय को सही प्रकार से दर्ज करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे।				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
34.	105- लोक निर्माण कार्य	2.15	2059/53	गणतंत्र दिवस समारोह तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रबंधन करने जिसमे प्राथमिक रूप से राष्ट्रपति डायस के लिए डिजाईन एवं निर्माण आधार पर हटायी जा सकने वाली छत की संरचनात्मक डिजाईनिंग तथा जांच, उद्योग भवन का अस्थायी प्रदीपन, तबू करना/प्रबंधन, बैठने की व्यवस्था करने वाला कैम्प कार्यालय तथा अन्य संबंधित निर्माण कार्य आदि शामिल है, पर दिए गए ₹2.15 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था। किए गए निर्माण कार्यों की मदों का परिणाम स्थायी प्रवृत्ति की परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं हुआ था। इसलिए इस मामले में उपयुक्त लेखाशीर्ष का उपयोग अनुदान के राजस्व वर्ग से किया जाना चाहिए था।
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि उपरोक्त कार्य हेतु प्रावधान वर्ष 2016-17 से शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत किया गया है।				
35.	105- लोक निर्माण कार्य	3.49	2059/50	स्माधि स्थल परिसर में सेना को तैनात करने पर तथा विभिन्न समाधियों पर अनुरक्षण तथा कार्यों से संबंधित विविध मरम्मत निर्माण कार्यों हेतु किए गए ₹3.49 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था। इस व्यय को सही प्रकार से वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया(अगस्त 2016) कि शहरी विकास मंत्रालय को अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 से उपशीर्ष 2059.80.800.06 'अन्य स्माधियों का अनुरक्षण' के अंतर्गत नया वस्तु शीर्ष-व्यवसायिक सेवाएं का परिचालन करने का अनुरोध किया जा रहा था।				
	कुल	387.32		

4.5.4 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों को राज्य जनजाति उप-योजना के अनुपूरक के रूप में, विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) प्रदान की जाती है। जहाँ 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु आवंटित निधियों को लेखे के विशिष्ट लघु शीर्ष अर्थात् '796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित है, वही लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार,

‘जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता’ को दर्ज करने हेतु एक पृथक लघु शीर्ष कोड, अर्थात् 794 चिन्हित किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 98 की संवीक्षा से पता चला कि ₹1,250 करोड़ के कुल प्रावधान में से मंत्रालय द्वारा ₹1,132.17 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 के दौरान ‘जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता’ के रूप में जारी की गयी थी एवं यह व्यय लघु शीर्ष ‘796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना’ के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसका लघु शीर्ष ‘794-जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता’ के अंतर्गत प्रावधान तथा दर्ज किया जाना चाहिए था जैसा कि प्रचलित अनुदेशों में निर्धारित था।

वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 के लिए इस मामले को संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी के प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2014-15 के प्रतिवेदन सं. 50 में भी इंगित किया गया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2016) कि जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 2017-18 के लिए डीडीजी में लघु शीर्ष ‘794’ खोला जाएगा।

4.6 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमशः अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी योजनाएं, इन विशेष समूहों को उनकी संबंधित जनसंख्या के आकार के अनुपात में, सभी संबंधित विकास क्षेत्रों से, निधियों की गारंटी प्रदान करके लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, भौतिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार से, परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आवंटन के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) तथा जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) हेतु अलग आवंटन करने की पहल की गई थी। सरकार ने समर्पित मुख्य शीर्ष अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789) तथा ‘जनजातीय उपयोजना (कोड 796)’ को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तदनुसार, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के

अंतर्गत 'सामान्य योजना', अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित पृथक रूप से प्रावधान प्राप्त किया जाता है। अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, एस.सी.एस.पी. तथा टी.एस.पी. के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उन्हीं लघु शीर्षों को छोड़कर, पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है, ताकि विपथन की किसी भी संभावना से बचा जा सके।

जी.एफ.आर.-2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 (जिसमें बजट बनाने के लिये अनुदेश समाहित हैं) में प्रावधान है कि जहां एक योजना/परियोजना पर प्रारम्भिक खर्चों की पूर्ति हेतु या आकस्मिक स्थितियों की पूर्ति हेतु तात्कालिक उपायों मापदण्डों का प्रावधान किया जाना हो, के अतिरिक्त, बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किये जायेंगे, जो वित्तीय वर्ष में चालू करने हेतु, सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(क) वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग के समेकित सार के साथ विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने अनुदान के लिए पूरक मांग में सामान्य घटक, अनुसूचित जाति के लिये विशेष संघटक योजना तथा जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत राशि विशेष घटक वार ब्यौरे दिए बिना अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से वस्तु-शीर्ष '31 सहायता अनुदान सामान्य' (2202.03.102.10.01.31) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय योजना के लिए पुनर्विनियोग हेतु ₹350 करोड़ का सांकेतिक पूरक प्राप्त किया (मार्च 2016)।

₹350 करोड़ के एकमुश्त पूरक को संसद के विशेष पूर्व अनुमोदन बिना योजना के तीन घटकों के बीच संविभाजित किया गया था। चूंकि व्यय आर्थिक सहायता अनुदान पर किया गया व्यय होने पर बजट प्रभाग के ओएम दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार नई सेवा/ सेवा के नए साधन की सीमाओं के उल्लंघन में था; इसलिए तीन योजनाओं के लिए अलग-अलग संसद का राशि-विशेष पूर्व अनुमोदन आवश्यक था जिसे प्राप्त नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि ₹350 करोड़ के पुनर्विनियोग हेतु टोकन अनुपूरक अनुदान मार्च 2016 में अधिसूचित पूरक अनुदान की मांग (एसडीजी) के तीसरे बैच में प्राप्त किया गया था। इस राशि को एससीएसपी तथा टीएसपी संघटकों के अंतर्गत अनुपूरक मांगों भी शामिल थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एससीएसपी तथा टीएसपी संघटको हेतु राशि-विशिष्ट स्वीकृति को 26 मार्च 2016 को वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा जारी एसडीजी के तीसरे बैच में दर्शाया नहीं गया था।

(ख) इसी प्रकार, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 109 में, मंत्रालय ने अनुदान हेतु अनुपूरक मांग में सामान्य सघटक, अनुसूचित जाति हेतु विशेष सघटक योजना तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना हेतु राशि विशिष्ट सघटक-वार ब्यौरा प्रदान किए बिना वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदाने' (2204.00.104.50.00.35) के अंतर्गत शहरी खेल अवसरंचना योजना हेतु ₹20 करोड़ के पुनर्विनियोग हेतु एक टोकन अनुपूरक प्राप्त किया था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि ₹20.00 करोड़ का टोकन अनुपूरक अनुदान वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदाने' के अंतर्गत संसद से प्राप्त किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपूरक अनुदान केवल सामान्य सघटक में शहरी खेल अवसरंचना विकास के लिए थी। इसकी बजाए मंत्रालय को प्रत्येक सघटक हेतु अलग से राशि विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी क्योंकि डीडीजी में सभी तीनों सघटको की अलग बजट रेखा थी।

4.7 वस्तु शीर्ष '42- एकमुश्त प्रावधान' के अंतर्गत अधिक प्रावधान प्राप्त करना

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 में अनुबंधित है कि एकमुश्त शीर्ष (वस्तु शीर्ष 42) के अंतर्गत, प्रावधान में योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, से सम्बंधित व्यय शामिल होगा। सभी अन्य मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2015-16 के लिए तीन अनुदानों के विनियोग लेखे की जांच में पता चला कि निम्नलिखित मामलों में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत व्यय के पूर्ण विवरण के साथ संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय ₹10 लाख से अधिक के एकमुश्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

तालिका 4.12: एक मुश्त प्रावधान

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
		(₹लाख में)		
अनुदान सं.29- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय				
1.	2552.00.800.03.00.42 एनईसी सचिवालय में	30.00	7.10	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने बताया (अगस्त

	परियोजना, योजना एवं मॉनीटरिंग सैल की स्थापना			2016) कि ₹30.00 लाख का प्रावधान उत्तर पूर्वी परिषद में परियोजना, योजना तथा मॉनीटरिंग सैल की स्थापना के लिए किया गया था। चूंकि व्यय में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत व्यय शामिल थे इसलिए इस प्रकार के सभी व्ययों को निर्धारित वस्तु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। तथापि वर्ष 2016-17 के लिए ₹10.00 लाख का प्रावधान कथित शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।
अनुदान सं. 34-आर्थिक कार्य विभाग				
2.	5475.00.800.12.00.42 अवसरचना विकास व्यवहार्यता अंतर निधीयन हेतु सहायता	102850.00	62350.00	विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2016)।
अनुदान सं.35-वित्तीय सेवाएं विभाग				
3.	3475.00.105.04.00.42 कार्यालय कोर्ट परिसमापक, कोलकाता को एकमुश्त प्रावधान का भुगतान	70.00	40.02	वित्तीय सेवाएं विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि कार्यालय कोर्ट परिसमापक, कोलकाता की मद वार बजटीय आवश्यकता प्राप्त कर ली गई थी तथा इसका वर्ष 2016-17 हेतु वित्त मंत्रालय की डीडीजी में प्रावधान कर दिया गया था।

4.8 अंतरिक्ष विभाग में त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेशों को जारी करना

परिशिष्ट-3 तथा 4 के साथ पठित सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम, 48 संगठन द्वारा वस्तु शीर्ष स्तर पर पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 25(1) आदेश देता है कि व्यय हेतु सभी संस्वीकृतियां संबंधित अनुदान अथवा विनियोग में प्रावधानों के विवरणों को दर्शाएंगी जिससे इस प्रकार के व्यय को पूरा किया जाना है। परियोजना के वित्तीय प्रोफाइल को बेहतर समझने के लिए विनियोग की इकाई पर आधारित लागत अनुमानों को वित्तीय संस्वीकृतियों में सूचित किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान सं. 93-अंतरिक्ष विभाग के विनियोग लेखाओं की जाँच ने प्रकट किया कि अनुदानों की विस्तृत मांग में अनुमान अथवा व्यय योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय हेतु अलग से राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं पर वस्तु स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण के साथ तैयार किए गए थे जैसी संघ सरकार के अन्य मंत्रालयो/विभागों में प्रचलित प्रक्रिया है। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि:-

- अंतरिक्ष विभाग द्वारा, व्यय करने को प्राधिकृत करते हुए, जारी संस्वीकृति आदेश राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं और राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं के अंतर्गत योजनागत तथा गैर-योजनागत को अलग से डेबिट किए जाने वाले व्यय की राशि को अलग से निर्धारित नहीं करता है।
- संस्वीकृति आदेश वर्गीकरण के छठे टियर तक पूर्ण निर्देशन प्रदान करने के बजाए केवल उप शीर्ष स्तर अर्थात् वर्गीकरण का चौथा टियर तक वर्गीकृत किए जाने वाले व्यय की राशि को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार, अंतरिक्ष विभाग में प्राधिकारियों द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि वह व्यय को उचित प्रकार से दर्ज करने तथा वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रदान नहीं करते थे।

संस्वीकृति आदेशों में वर्गीकरण के ब्यौरो के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं में छठे टियर तक वर्गीकरण को दर्शा कर लेखाओं को कैसे तैयार तथा संकलित किया गया है। जारी वित्तीय संस्वीकृति आदेशों के निर्दर्शी मामलों का तालिका 4.13 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 4.13: त्रुटिपूर्ण वित्तीय संस्वीकृति आदेशों के निर्दर्शी मामले

क्र.सं.	संस्वीकृति सं. तथा दिनांक	परियोजना का नाम (लेखाशीर्ष)	संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सं.सी12012/1/2013.धारा 3 दिनांक 5 जून 2015	पीएसएलवी निरंतर कार्यक्रम परिचालन वायुयान पीएसएलवी सी 36 से सी 50 (3402.00.101.04, 5402.00.101.20)	कैबिनेट सचिवालय	3090.00
2.	सं.सी.12011/4/2014.धारा .3 दिनांक 29 मई 2015	जीसेट 18 संचार उपग्रह (3252.00.053.17, 5252.00.203.13) तथा लॉच सेवाएं (3252.00.053.18, 5252.00.203.14)	कैबिनेट सचिवालय	1022.00
3.	सं.सी.12011/3/2014.धारा.3 दिनांक 29 मई 2015	जीसेट 17 संचार उपग्रह (3252.00.053.15, 5252.00.203.11) तथा लॉच सेवाएं (3252.00.053.16, 5252.00.203.12)	कैबिनेट सचिवालय	1013.20
4.	सं.सी.19013/81/2014. धारा 3 दिनांक 20 मई 2015	कार्टोसेट-3 रिमोट सेंसिंग उपग्रह (3402.00.101.51, 5402.00.101.44)	सदस्य वित्त, अंतरिक्ष	351.16

क्र.सं.	संस्वीकृति सं. तथा दिनांक	परियोजना का नाम (लेखाशीर्ष)	संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)
			आयोग	
5.	सं.सी.12029/1/2015. धारा.3 दिनांक 6 नवम्बर 2015	ओस्मिनसेट-3/ 3ए रिमोट सेंसिंग उपग्रह (3402.00.101.54, 5402.00.101.47)	अंतरिक्ष आयोग	797.17
6.	सं.सी.19013/44/2014. धारा 3 दिनांक 20 अप्रैल 2015	जीसेट 19 अंतरिक्षयान परियोजना (3252.00.053.19, 5252.00.203.15)	डीओएस	94.00
7.	सं.सी.12034/2/2015. धारा 3 दिनांक 27 मई 2015	नासा-इसरो सिंथेटिक छिद्र राडार मिशन एनआईएसएआर (3402.00.101.61, 5402.00.101.54)	अंतरिक्ष आयोग	513.00
8.	सं.सी.12026/1/2015. धारा 3 दिनांक 23 दिसंबर 2015	आरआईएसएटी आईए उपग्रह परियोजना (3402.00.101.53, 5402.00.101.46)	सदस्य वित्त, अंतरिक्ष आयोग	490.00
9.	सं.सी.12032/1/2009. धारा 3 (भाग-II) 20 नवम्बर 2015	आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान परियोजना हेतु संशोधित लागत अनुमान (3402.00.103.14, 5402.00.103.07)	सदस्य वित्त, अंतरिक्ष आयोग	378.53
कुल				7749.06

मामले पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 हेतु प्रतिवेदन सं. 1 में भी टिप्पणी की गई थी परंतु विभाग द्वारा कोई विवेकी कार्रवाई नहीं की गई थी।

अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि वह भविष्य में विनियोग की इकाई अर्थात् वर्गीकरण के छठे टियर तक के आधार पर परियोजना संस्वीकृति आदेश जारी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रहा था।

4.9 अनुदान के एक ही वर्ग के अंतर्गत मुख्य शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वर्ष 2015-16 हेतु अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) से संबंधित अनुदान सं. 93 के समेकित सार की तुलना में शीर्षवार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने अनुदान के एक ही वर्ग के अंतर्गत मुख्य शीर्षों में गलत वर्गीकरण के निम्नलिखित मामले प्रकट किए।

तालिका 4.14: अनुदान के एक ही वर्ग के अंतर्गत मुख्य शीर्षों में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	3252	01/11/13/20 /27/28/50	1.70	डीओएस के विकासात्मक मिशनों (उपग्रह तथा लॉच वाहनों) को प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है तथा प्रचालन मिशन मूल्य वसूली हेतु प्रत्याशित है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए डीओएस ने विकासात्मक उपग्रह को विकासात्मक लॉच वाहन तथा प्रचालन उपग्रह को प्रचालन लॉच वाहनों में लॉच किया। डीओएस ने अप्रैल 2015 में जीसेट 19 प्रौद्योगिकी

				प्रदर्शन उपग्रह को संस्वीकृत किया तथा व्यय को अंतरिक्ष अनुसंधान मुख्य शीर्ष 3402 के बजाए इनसेट प्रचालन मुख्य शीर्ष 3252 के अंतर्गत दर्ज किया है।
2.	5252	52/60	3.97	डीओएस के विकासात्मक मिशनों (उपग्रह तथा लॉच वाहनों) को प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है तथा प्रचालन मिशन मूल्य वसूली हेतु प्रत्याशित है। इस प्रकार डीओएस ने विकासात्मक उपग्रह को विकासात्मक लॉच वाहन तथा प्रचालन उपग्रह को प्रचालन लॉच वाहनों में लॉच किया। डीओएस ने अप्रैल 2015 में जीसेट 19 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह को संस्वीकृत किया तथा किए गए व्यय को अंतरिक्ष अनुसंधान मुख्य शीर्ष 5402 के बजाए इनसेट प्रचालन मुख्य शीर्ष 5252 के अंतर्गत दर्ज किया है।
कुल			5.67	

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय डीओएस ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि डीडीजी 2016-17 में जीसेट-19 हेतु बजट प्रावधान राजस्व तथा पूंजीगत वर्गों में क्रमशः मुख्य शीर्ष '3402' तथा '5402' के अंतर्गत किया गया है।

4.10 संबंधित उप-शीर्ष के गैर-प्रचालन के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण

डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार विभागीय कैन्टीनों से संबंधित विभिन्न व्ययों को मुख्य लेखाशीर्ष, जिसमें मंत्रालय/विभाग से संबंधित व्यय को आमतौर पर डेबिट किया जाता है, के अंतर्गत लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के नीचे एक नए उप-शीर्ष 'विभागीय कैन्टीन' के अंतर्गत उपयुक्त वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना है, जैसा वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन नियमावली के नियम 8 के तहत प्रावधान है, तथा इसे उस प्रकार दर्शाना है जैसा अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में दर्शाया गया है।

वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान सं. 93-अंतरिक्ष विभाग की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग की विभिन्न इकाईयों ने 2015-16 के दौरान विभागीय कैन्टीन के अनुरक्षण पर किए गए ₹2.40 करोड़ के व्यय को गलत वर्गीकृत किया जैसा तालिका 4.15 में दिया गया है।

तालिका 4.15: व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	पीएओ	व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	3402	001	01	इसरो मुख्यालय	0.95	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय, जिसे '3402.00.800- 'अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था, को उप शीर्ष '3402.00.001.01' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
2	3451	090	18	इसरो मुख्यालय	0.20	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय, जिसे '3402.00.800 अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था, को उप-शीर्ष '3451.00.090.18' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
3	3402	101	10	आईएसएसी केन्द्र	1.25	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय, जिसे '3402.00.800 अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था, को उप-शीर्ष '3402.00.101.10' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
कुल					2.40	

डीओएस ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि वस्तु शीर्ष 'अन्य प्रशासनिक सेवाएं' के अंतर्गत कैन्टीन पर व्ययों को दर्ज किया जाना डीओएस द्वारा व्यय दर्ज करने के सारांश के अनुसार किया गया था तथा इसलिए सही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने डीओपीटी के निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया था।

रक्षा अनुदानें

4.11 पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान में कुल ₹1976.72 करोड़ की निधि का अप्राधिकृत अंतरण

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट नियमपुस्तिका 2010 का पैरा 3.2 बताता है कि तीन अवसर हैं जब तकनीकी अनुपूरक¹ मांग की जा सकती है (क) चार वर्गों

¹ जब किसी एक खंड में बचत है तथा उसे किसी विभिन्न खंड के अंतर्गत दूसरी योजना के लिए उपयोग करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, यह 'तकनीकी अनुपूरक' द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत्त) में से किसी से अभ्यर्पण तथा इसका मांग के अंतर्गत अन्य वर्ग में उपयोग करना, (ख) एक मांग से अन्य मांग में योजना का स्थानांतरण जिसका परिणाम उस मांग, जिसमें से योजना का स्थानांतरण किया गया है, से राशि के अभ्यर्पण तथा अन्य मांग जिसमें योजना का स्थानांतरण किया गया है, में इसके उपयोग में होगा तथा (ग) छूट/बट्टे खाते।

रक्षा मंत्रालय में अनुदानों हेतु छः मांगे (अनुदान सं. 23 से 28) हैं, अनुदान सं. 23 से 27 राजस्व वर्ग से संबंधित है तथा अनुदान सं. 28 पूंजीगत वर्ग से संबंधित है।

वर्ष 2015-16 के लिए रक्षा अनुदानों की जांच के दौरान, यह प्रकट हुआ कि ₹660.95 करोड़ की राशि का तकनीकी अनुपूरक पर आधारित मांग सं. 28 से मांग सं. 26 - रक्षा आयुध फैक्टरी को अंतरण हुआ था। यह तकनीकी अनुपूरक बजट मैनुअल में शामिल निर्देशों के उल्लंघन में था।

तकनीकी अनुपूरक प्राप्त करना तथा निधियों का एक मांग से दूसरे में बिना किसी योजना के अंतरण की इस गलत प्रक्रिया, के विषय में सीएजी के 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2015 के 50 में बताया गया था। फिर भी, मंत्रालय द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं।

आगे, संविक्षा ने प्रकट किया कि ₹660.95 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक राशि के प्रति, मंत्रालय ने ₹1976.72 करोड़ पूंजीगत मांग से राजस्व मांग (मांग सं. 26 सहित) को अंतरित किया था, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी पूरक द्वारा आवृत नहीं की गई सीमा तक निधियों का अनधिकृत अंतरण हुआ।

मंत्रालय के पास मामले को सितंबर 2016 में भेजा गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि बीई-2015-16 एवं प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत 2015-16 के दौरान प्राप्त अनुपूरक अनुदानों के प्रावधान, 2015-16 हेतु संशोधित विनियोग (एम.ए.) पर अंतिम आबंटन से अधिक था। अतः एम.ए. 2015-16 पर वि.मं. द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि हेतु संसद से तकनीकी अनुपूरक की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूंजीगत मांग से राजस्व मांग में किसी धनराशि के अंतरण को बजट नियम पुस्तिका 2010 के पैरा 3.2 के अनुसार तकनीकी अनुपूरक से आवृत्त करना आवश्यक होता है।

4.12 वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' को प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश (एनएस/एनआईएस) से संबंधित का.जा. दिनांक 25 मई 2006 के संदर्भ में स्पष्ट किया (21 मई 2012) कि वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआईएस के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ अथवा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों को, इस तथ्य का ध्यान किए बिना कि संवर्धन नए निर्माण कार्य अथवा मौजूदा निर्माण कार्य के लिए है, संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की वर्ष 2015-16 की मांग सं. 28-पूंजीगत परिव्यय की संवीक्षा ने प्रकट किया कि टोकन प्रतिपूरक के द्वारा 4076.01-सेना के अंतर्गत संसद से ₹1588.00 करोड़ का प्राधिकरण प्राप्त किया जिसमें से ₹2099.86 करोड़ की राशि को तीन उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था। जैसा तालिका 4.16 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 4.16: वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' को प्रावधान का संवर्धन

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग की राशि	टोकन अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से ससंद से प्राप्त प्रावधान (दूसरे एसडीजी में)	अधिक व्यय
मुख्य शीर्ष-4076-पूंजीगत परिव्यय (अनुदान-28)			
01-थल सेना 202-निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	1774.20	1588.00	186.20
02- नौ सेना 202- निर्माण कार्य	76.00	0	76.00
03-वायु सेना 202-निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	249.66	0	249.66
कुल	2099.86	1588.00	511.86

इसका परिणाम संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना ₹511.86 करोड़ के संवर्धन में हुआ जिससे नई सेवा/सेवा के नए साधन में कमी के रूप में हुआ था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2016) में वि.मं. के ओएम दिनांक 25 मई 2006 का उद्धरण दिया तथा बताया कि निर्माण कार्य व्यय से संबंधित सीमाओं सहित उपर कथित सीमाएं रक्षा सेवाएं अनुमानों के मामले में सुरक्षा के विचार के तहत इन विभागों पर लागू होंगी।

उसने आगे बताया कि 4076-01-202 (थल सेना-निर्माण कार्य) के अंतर्गत ₹1774.20 करोड़ तथा 4076-03-202 (वायु सेना-निर्माण कार्य) के अंतर्गत ₹249.66 करोड़ का पुनर्विनियोग को परिवर्तित विनियोग (एमए) स्तर (2015-16) पर प्रस्तावित किया गया था तथा वह सचिव (व्यय) द्वारा उचित प्रकार से स्वीकृत थे।

उत्तर इस तथ्य के अनुसार स्वीकार्य नहीं है क्योंकि थलसेना, नौ सेना तथा वायु सेना के अंतर्गत 2015-16 के रक्षा सेवा अनुमानों में 'निर्माण कार्य' हेतु अलग बजट सीमा थीं तथा संवर्धन की वित्तीय सीमाएं प्रत्येक बजट सीमा हेतु अलग से लागू थीं। इसके अतिरिक्त 'निर्माण कार्य' के अंतर्गत किया गया व्यय वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' की श्रेणी के अंतर्गत आता है इस प्रकार वित्त मंत्रालय के 25 मई 2006 के ओएम में निर्धारित संवर्धन की वित्तीय सीमाएं सुरक्षा के विचार के तहत, समान रूप से रक्षा को भी लागू होती हैं। इस प्रकार प्राधिकृत प्रावधानों से ऊपर किए गए ₹511.86 करोड़ के अधिक व्यय को संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित थी।

डाक विभाग

4.13 ₹51.26 करोड़ की 'नगद अनुपूरक' अनुदान का अप्राधिकृत संवितरण

वर्ष 2015-16 के लिए डाक विभाग से संबंधित अनुदान सं. 14 के अंतर्गत संसद से प्राप्त अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच की जाँच ने प्रकट किया कि ₹40.00 करोड़ तथा ₹11.26 करोड़ की नगद अनुपूरक² अनुदानों को योजनागत

² नकद अनुपूरक राशि मूल बजट प्रावधानों से अधिक है तथा जिसका परिणाम मांग/सहायता अनुदान के लिए आवंटन की वृद्धि में हुआ।

योजनाओं हेतु क्रमशः राजस्व दत्तमत्त तथा पूंजीगत-दत्तमत्त वर्ग के अंतर्गत प्राप्त किया गया था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

- ₹40.00 करोड़ की मुख्य शीर्ष '3201-डाक सेवाएं' के अंतर्गत भारतीय डाक बैंक तथा नेटवर्क सघंटन की स्थापना के प्रति आवश्यकता थी।
- ₹11.26 करोड़ की मुख्य शीर्ष '5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटान हेतु "बैंकिंग तथा डाक जीवन बीमा समाधानों का विकास एवं परिनियोजन" के अंतर्गत भुगतान करने के प्रति आवश्यकता थी।

शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की विस्तृत संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹40.00 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान में से केवल ₹37.45 करोड़ को मुख्य शीर्ष '3201-डाक सेवाएं' के अंतर्गत दर्शाया गया था जबकि ₹2.55 करोड़ की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 2552-एनई क्षेत्र हेतु आबंटन के अंतर्गत दर्शाया गया था।

इसी प्रकार, ₹11.26 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान में से ₹8.68 करोड़ को मुख्य शीर्ष '5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत दर्शाया गया था तथा ₹2.58 करोड़ की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 4552 के अंतर्गत दर्शाया गया था। ब्यौरे तालिका 4.17 में दिए गए हैं। :

तालिका 4.17: अनुपूरक अनुदानों का अप्राधिकृत संवितरण

क्र.स.	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
राजस्व दत्तमत्त खंड (योजनागत)		
1.	3201.02.104.01- अनुसंधान एवं विकास	30.20
2.	3201.03.101.12-भारतीय डाक बैंक की स्थापना	7.25
	एमएच-3201 के अंतर्गत अनुपूरक चित्रण	37.45
3.	2552.02.104.01-अनुसंधान एवं विकास	1.80
4.	2552.03.101.12-भारतीय डाक बैंक की स्थापना	0.75
	एमएच- 2552 के अंतर्गत अनुपूरक चित्रण	2.55
	कुल	40.00
पूंजीगत दत्तमत खंड (योजनागत)		
5.	5201.00.104.62-परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	8.68
6.	4552.00.104.62-परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	2.58
	कुल	11.26

इसका परिणाम वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में अप्राधिकृत संवितरण तथा शीर्ष वार विनियोग लेखाओं में अनुपूरक अनुदान के दर्शाए जाने में हुआ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि योजना खंड के अंतर्गत मूल आवंटन ₹468.61 करोड़ था, जिसे वर्ष 2015-16 के लिए एसडीजी के दूसरे बैच द्वारा ₹51.26 करोड़ (दत्तमत) तथा ₹0.13 (प्रभारित) का अतिरिक्त आवंटन प्रदान कर संशोधित अनुमान स्तर पर ₹520 करोड़ बढ़ाया गया था।

इसने आगे बताया कि अतिरिक्त आवंटन उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत अनिवार्य को ध्यान में रखकर किए गए थे जिसमें ₹2.55 करोड़ तथा ₹2.58 करोड़ क्रमशः मुख्य शीर्ष 2552 तथा 4552 के अंतर्गत शामिल किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग संसद द्वारा संस्वीकृत अनुपूरक अनुदान के मूल लक्ष्य को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

4.14 निष्कर्ष

संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित विनियोग लेखे में कमी, वित्तीय नियमावली का पालन नहीं होना आदि लेखापरीक्षा में पाया गया है, जो कि संपादित लेखाओं की परिशुद्धता पर प्रभाव डालता है। करों की वापसी पर ब्याज के भुगतान के लिए संसद से बजटीय प्रावधान की अनुपलब्धता, नई सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित अनुदेशों का पालन नहीं होना जो कि लोक लेखा समिति की सहमति से पारित हुए थे, गलत वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्रावधान, प्राप्त करना जो गलत वर्गीकरण का कारण बना जिसका राजस्व घाटे पर प्रभाव है। कुछ क्षेत्र हैं जो मुख्य लेखा प्राधिकारी की जानकारी में होना चाहिए। इसके साथ ही, भारत की संचित निधि से लेन-देन पारित किए गए थे जो लोक लेखे में लेखाबद्ध होने थे तथा मूल्य विशिष्ट प्रावधानों की जगह एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे तथा रक्षा मंत्रालय में निधियों को पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदानों में अप्राधिकृत प्रकार से अंतरण किया गया भी पाया गया था जिसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित थी।